/

पत्रांक : 1988 /आयु0क0उत्तराखण्ड/धारा–57 अनु0/वाणि0कर/2015–16/देहरादून।

कार्यालयः–आयुक्त कर उत्तराखण्ड।

(धारा–57, अनुभाग)

देहरादूनः दिनांकः 15 जून–2015 जुलाई

प्रार्थना पत्र संख्या – 01/06.04.2015

द्वारा – सर्वश्री दून एन्टरप्राईसेज़, शॉप नं0–3, II फ्लोर, उत्तरांचल कॉम्प्लैक्स, हरिद्वार रोड, देहरादून।

उपस्थिति – श्री श्रीप्रकाश नौटियाल, अधिवक्ता फर्म।

निर्णय का दिनांक – जुलाई 2015

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा–57 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री दून एन्टरप्राईसेज़, शॉप नं0–3, II फ्लोर, उत्तरांचल कॉम्प्लैक्स, हरिद्वार रोड, देहरादून द्वारा धारा–57 के अन्तर्गत यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में निम्न वस्तुओं पर कर की दर स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया है :–

1. Cotton Razai with Gold Print
2. Jaipuri Silk Razai with Gold Print
3. Kota Doria Sarees (GK; 7K1)
4. Set of 7 Art Silk Sarees (7A1)

व्यापारी के प्रार्थनापत्र पर ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0), वाणिज्य कर, देहरादून सम्भाग, देहरादून से आख्या प्राप्त की गई, जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि Cotton Razai with Gold Print एवं Jaipuri Silk Razai with Gold Print उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की किसी भी अनुसूची में वर्गीकृत नहीं हैं, अतः इन पर अवर्गीकृत वस्तुओं की भांति 13.5 प्रतिशत की दर से कर आकर्षित होता है। Kota Doria Sarees (GK; 7K1) के विषय में उनके द्वारा बताया गया है कि यह एक साड़ी की किस्म है जिसे पिटलूम पर निर्मित किया जाता है। केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा–14 में कपड़ों की कुछ किस्में जिनके एक्साईज़ कोड का उल्लेख किया गया है, पर 5 प्रतिशत की दर से कर आकर्षित होता है एवं शेष कपड़ों पर 13.5 प्रतिशत की दर से कर आकर्षित होता है। बिन्दु संख्या–4 में उल्लिखित Set of 7 Art Silk Sarees (7A1) के विषय में यह अवगत कराया गया है कि उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की अनुसूची–II(ख) की प्रविष्टि संख्या–101 निम्न प्रकार है :–

> ''रेशमी कपड़ा जिसमें हैण्डलूम रेशम सम्मिलित नहीं है जब तक अतिरिक्त एक्साईज ड्यूटी से आच्छादित न हो''

इस प्रकार केवल हैण्डलूम से निर्मित सिल्क फैब्रिक ही करमुक्त है, शेष सिल्क फैब्रिक पर 5 प्रतिशत की दर से कर आकर्षित होता है।

प्रार्थनापत्र की सुनवाई हेतु श्री श्रीप्रकाश नौटियाल, अधिवक्ता फर्म उपस्थित हुए एवं प्रश्नगत वस्तुओं पर करदेयता स्पष्ट किए जाने का अनुरोध किया गया।